भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *32
बुधवार, 24 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

गोवा तटीय क्षेत्र में अपरदन

†*32. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास इस संबंध में आंकड़े हैं कि वर्ष 2000 से गोवा के तटीय क्षेत्र में कितना अपरदन हुआ है;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे समुदायों के पुनर्वास की कोई योजना है जो अपरदन और समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण अपनी भूमि खोने के कगार पर खडे है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गोवा तटीय क्षेत्र में अपरदन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है/ किए जाने का विचार है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रखा है।

"गोवा तटीय क्षेत्र में अपरदन" से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *32, जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) जी हां। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) के माध्यम से तटरेखा के अपरदन का आकलन किया है तथा रिमोट सेंसिंग डेटा और क्षेत्र प्रेक्षणों का उपयोग करके 1990-2018 की अवधि के लिए भारतीय तट के समानांतर समुद्री अपरदन वाले तटीय क्षेत्रों की पहचान की है।

गोवा राज्य में तटरेखा में जिलावार परिवर्तन (1990-2018) नीचे दिए गए हैं:

जिला और राज्य	तट की लंबाई (किमी)	तट की लंबाई (किमी)					
		अपरदन		स्थिर		वृद्धि	
		किमी	%	किमी	%	किमी	%
उत्तरी गोवा	36.4	6.66	18.3	17.74	48.7	12	33.0
दक्षिणी गोवा	103.24	20.16	19.5	75.98	73.6	7.1	6.9
गोवा	139.64	26.82	19.2	93.72	67.1	19.1	13.7

(ख) और (ग) जी हां। 15वें वित्त आयोग ने अपरदन को रोकने के लिए शमन उपायों के साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के तहत 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुमोदन से 20.06.2024 को अपरदन को रोकने के लिए शमन दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। राज्य अपरदन को कम करने संबंधी कार्यों को करने के लिए लागत साझाकरण आधार पर संसाधनों के राज्य के योगदान के 10% निधि का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अपरदन से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) के तहत 1,000 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं। गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग ने 20.06.24 को अपरदन से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के संबंध में नीति भी तैयार करके जारी कर दी है।

(घ) एनसीसीआर संवेदनशील भागों में तटीय सुरक्षा उपाय करने में तटीय राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। एनसीसीआर ने गोवा सहित सभी तटीय राज्यों के लिए तटरेखा परिवर्तन एटलस भी तैयार की है।

*****